

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.)

(E-mail :- cmho_raipur@yahoo.co.in) Ph. 0771-2543092, 2543084

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2022/7906

रायपुर, दिनांक: 8.4.2022

संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्र./NHM/HR/2022/NS-1637/3703 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.02.2022 में दिये गये निर्देशानुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हांकित 76 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में (UHC) में विभिन्न मानव संसाधन की भर्ती हेतु स्वीकृति उपरान्त संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर छ.ग. में रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री से दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक कार्यालयीन समय में सांय 05:30 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम से या सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

S. No	Name of post	Total no of Post	Reservation Category	UR	SC	ST	OBC	Qualifications and Experiences	Remuneration (per Month)
1	Staff Nurse	76	Total	50	12	03	11	1. B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc Nursing 2. General Nursing & midwifery (GNM) With CG Nursing Council Registration (Final Merit List prepared on the basis of order of priority. like 1 & 2)	16500
			Female Reservation (In Total)	15	3	-	3		
			Ex-Service man Reservation (In Total)	5	1	-	1		
			Physically Disabled (In Total)	05 (OL)					
2	MPW (M)	76	Total	50	12	03	11	Must have passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with biology Subject. One year Diploma in Multipurpose worker training Or equivalent training from training center recognized by the State Government with registerd in CG Paramedical Council.	14000
			Female Reservation (In Total)	-	-	-	-		
			Ex-Service man Reservation (In Total)	5	1	-	1		
			Physically Disabled (In Total)	05 (OA)					
3	Jr. Sec. Asst.	76	Total	50	12	03	11	12 th Passed with at least 01 Year Computer diploma.	12000
			Female Reservation (In Total)	15	3	-	3		
			Ex-Service man Reservation (In Total)	5	1	-	1		
			Physically Disabled (In Total)	Total 05 (02 OL, 02 HI, 01 LV)					
4	Class 4	76	Total	50	12	03	11	10 th Passed	10000
			Female Reservation (In Total)	15	3	-	3		
			Ex-Service man Reservation (In Total)	5	1	-	1		
			Physically Disabled (In Total)	Total 05 (02 OA/OL, 01 HI, 02 LV)					

टीप :- पदवार रिक्तियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

OL – One Leg

OA – One Arm

HI – Hearing Impairment

LV – Low Vision

क्रमशः.....2

//2//

(अ) भर्ती नियम :-

1. उक्त नियुक्ति 15वें वित्त आयोग के अधीन होगी। अतः यह समस्त कर्मचारी 15वें वित्त आयोग के होंगे।
2. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
3. यह नियुक्तियां वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए होगी तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग की कार्य अवधि के अनुसार निर्धारित होगी।
4. भर्ती उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान 15वें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन देय होगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय नहीं दिया जायेगा।

(ब) आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :-

1. आवेदक आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होंगा।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक कार्यालयीन समय सांय 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.) के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत आवेदित पद का नाम, एवं संवर्ग (अनारक्षित, अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व.) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर पंद्रहवें वित्त आयोग हेतु आवेदित पद का नाम, एवं संवर्ग नहीं लिखने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। जसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
5. विज्ञापन जारी करने के उपरान्त निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या डाक द्वारा विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(स) भर्ती संबंधी अन्य आवश्यक दिशा निर्देश :-

1. संविदा मानदेय - संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुस्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
2. उक्त संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।
3. आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 के अनुसार की जावेगी।
4. आवेदन शुल्क :- भर्ती हेतु आवेदन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार लिया जावेगा :-

संवर्ग	शुल्क का विवरण
दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग	200 रु.
अनारक्षित वर्ग	300 रु.

क्रमशः...3

- आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति, रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।
 - एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन एवं निर्धारित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) प्रस्तुत करना होगा।
 - आवेदन प्रारूप में डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
 - बिना आवेदन शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) के आवेदन करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।
5. विज्ञापित पद अनुरूप चयन प्रक्रिया हेतु वॉक इन इंटरव्यू अथवा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन वांछनीय अर्हता के मैरिट सूची के आधार पर किया जावेगा।
 6. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
 7. विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। यदि 02 या 02 से अधिक आवेदकों के कुल प्राप्तांक समान हो जाते हैं तो उनके चयन की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-
 1. शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक
 2. कौशल परीक्षा के अंक
 3. आयु (अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जावेगा)
 8. प्राप्त आवेदनों में रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

9. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवीण्य सूची :-

- 9.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (दसवीं/बारहवीं/स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत भारांश अंक। जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 60 प्रतिशत का भारांश अंक।

9.2 अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित अनुभव को ही मान्य किया जावेगा। (NHM छत्तीसगढ़ अन्तर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक एवं GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए अनुभव के 4 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक दिया जाना प्रावधानित हैं।

क्रमशः...4

टीप :- छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।

9.3 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्था के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित/अनुरूप अनुभव होने पर ही अभ्यर्थियों को नियम अनुसार अनुभव अंक प्रदान किया जावेगा।

10. अंतिम चयन सूची :-

10.1 पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

10.2 कौशल परीक्षा - 20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

10.3 कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा की कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जावेगा। SC/ST/OBC के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

10.4 अंतिम प्रवीण्य सूची निर्धारित अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत भारांश अंक, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जावेगी। जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता क्रम में दर्शित हो वहां पर अंतिम चयन हेतु प्रवीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता क्रम के अनुसार रहेगी।

10.5 उक्त भर्ती में संबंधित जिले के पात्र स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा संबंधित जिले में पात्र स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम अनुसार प्राथमिकता दिया जावेगा।

11. प्रतीक्षा सूची :- उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।


12. दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समयावधि दिया जावेगा, आवेदन में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर गठित समिति इन दावा आपत्ति के निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा आपत्ति एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावेगी। चयन समिति अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण कर सकेगी। दावा आपत्ति की तिथि के पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति को स्वीकार अथवा मान्य नहीं किया जावेगा।

13. अभ्यर्थियों को समय-समय पर भर्ती संबंधित दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र की सूची/लिखित/प्रायोगिक परीक्षा एवं अन्य जानकारी जिले के वेबसाईड www.raipur.gov.in का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जावेगी।

क्रमशः....5

14. अभ्यर्थियों को सत्यापित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः एवं कौशल परीक्षा के दिन मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ✓ हाई स्कूल (10वीं) की अंकसूची जन्मतिथि प्रमाण हेतु।
 - ✓ हायर सेकेण्डरी (12वीं) की अंकसूची।
 - ✓ निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
 - ✓ निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
 - ✓ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र।
 - ✓ छ.ग. काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य है।
 - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
 - ✓ विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र।
 - ✓ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।)
 - ✓ अन्य आवश्यक दस्तावेज।
15. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत ना करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
16. अभ्यर्थी जिनकी अंक सूची ग्रेड में अंकित है, ऐसे अभ्यर्थियों को अध्ययनरत् संस्था से प्राप्तांक एवं पूर्णांक की जानकारी आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही मान्य किये जायेंगे।
17. दावापत्ति के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा अतिरिक्त/पूरक दस्तावेज अलग से स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं दावापत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। साथ ही अपना पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
18. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
19. दिव्यांग जनों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
21. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
22. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

23. संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधी के दौरान त्याग पत्र दिया जाना हो तो नियुक्तकर्ता अधिकारी को एक माह के पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानेदय के समतुल्य राशि जमा करना होगा।
24. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक ना पाये जाने की दशा में नियोक्ता द्वारा समान सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी को होगा। सेवा समाप्ति के लिए एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
25. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरान्त कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
26. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में 40 से कम अंक प्राप्त होने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा प्रत्येक स्तर पर अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
27. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने की स्थिति में कारण अनिवार्य रूप से अंकित किया जावेगा। अन्यथा प्रतिकूल टिप्पणी मान्य नहीं होगा।
28. संविदा समाप्ति के पश्चात् कर्मचारी को समस्त फाईल, रिकार्ड, चाबी एवं अन्य सुविधायें व सामग्री जो कार्यालय की संपत्ति होगी वापस करना अनिवार्य होगा।
29. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
30. किसी भी संविदा कर्मचारी द्वारा बिना किसी सूचना के अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर 30 दिवस या अधिक पूरे वित्तीय वर्ष में अनाधिकृत अनुपस्थिति होने की दशा में सेवा से पृथक किया जावेगा।
31. उक्त कर्मचारियों हेतु शासन द्वारा निर्धारित 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश व 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही शासन के नियमानुसार मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश हेतु भी उक्त कर्मचारी पात्र होंगे तथा अवकाश के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
32. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
(चयन समिति द्वारा अनुमोदित।)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

8.4.22

आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट
साईज फोटा

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

आवेदित पद का नाम

कार्यक्रम का नाम (जिसके तहत आवेदन किया जा रहा है।)

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :
- (ब) आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वर्ष माहदिन
5. जाति (सामान्य/अनु.जाति./जनजाति/अ.पि.वर्ग) :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करें।)
6. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करें।)
7. क्या आवेदक दिव्यांग है ? :
- 7.1 दिव्यांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :
- (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
8. भूतपूर्व सैनिक हों/नहीं :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करें।)
9. स्थायी निवास का पता :
- :
- :
10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :
- :
- :
- मोबाईल/दूरभाष नं.
- ई-मेल आईडी
11. मेडिकल कौंसिल का नाम :
- पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (संलग्न करें) :

(Handwritten signature)

//2//

12. शैक्षणिक योग्यता

: (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे।)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्थान	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत

13. अनुभव — (केवल शासकीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के आधार पर पूर्ण कालिक ही मान्य होंगे।)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	वेतनमान	कार्यकाल	अनुभव वर्ष
1					
2					
3					
कुल अनुभव					

14. संलग्न डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक व दिनांक राशि.

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर